तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 53 RTA अंकित V/s मुबारिक बेग०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/10/24	जवाबदी पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप. । प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा ~~[illegible]~~ ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 5985 रकबा 0.2908 है. की जमाबंदी प्रस्तुत का निवेदन किया कि वादी द्वारा भूमि का विक्रय [illegible] को कर दिया गया है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में शेष नहीं रहने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद स्वतः ही Abate (अबेट) हो गया है अतः वाद को खारिज कर दिया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खसरा नं. 5985 वाके ग्राम पुर का अवलोकन किया गया तथा वाद पत्र का अवलोकन किया गया साथ ही सम्बन्धित विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)(ii) का अनुशीलन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(ii) के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित होना आवश्यक	

— लगातार —

[signature] 28/10/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सेवार्में

57/23

अंकित V/S मुबारिक वगै. 53 RTA

28/10/24	है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अभिलेखित नहीं होने से वादी का वाद स्वतः ही Abate (अबेट) होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है। अतः वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद को Abate (अबेट) होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।
	28/10/24 Asst. Collector सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा